// सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर, उ0प्र0–272202
Website : www.suksn.edu.in – Email Id : registrarsidduniv@gmail.com

अधिसूचना

एतद्द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर के पत्रांक 145/स0क0/छा0 जॉच/2024–25 दिनॉक–24.06.2024 के क्रम में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर से सम्बद्ध समस्त जपनदों के समस्त राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या को सूचित किया जाता है कि उक्त संलग्न पत्र का अवलोकन करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– जिला समाज कल्याण अधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा प्रषित पत्र की छायाप्रति।

भवदीय
26/6/24

कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक 447/सूचना/2024 दिनांक– 26/06/2024

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिला समाज कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
2. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
3. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या सम्बद्ध सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
4. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
5. प्रभारी कोडिंग सेल को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट तथा कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
6. गार्ड फाइल में संरक्षित हेतु।

कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी
सिद्धार्थनगर।

सेवा में,

1. कुल सचिव सिद्धार्थ विश्वविद्यालय
   कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर
2. जिला विद्यालय निरीक्षक
   सिद्धार्थनगर।
3. जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान बांसी
   सिद्धार्थनगर।

पत्रांक 145 /स0क0/छा0/2024–25 दिनांक 24 जून, 2024

विषय– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एंव सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपुर्यक्त विषयक के सम्बन्ध मे निदेशालय समाज कल्याण के पत्र संख्या सी–836–37 /स0क0/शिक्षा–अ/4/123/2024–25 लखनऊ दिनांक 13 जून 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके द्वारा निदेशक महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 29–05–2024 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समस्त केन्द्रीय/राज्य/निजी विश्वविद्यालयों, एफिलियेटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारियों एवं उनके अन्य प्रतिनिधियों, मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक, समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग आयोजित की गयी। तत्क्रम में निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही करायी जानी है–

1– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शैक्षिक सत्र 2024–25 से Aishe code एवं U-dise code कोड के बिना अनुसूचित जाति छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की 60 प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि भुगतान न किये जाने का प्राविधान किया गया है। जिन विश्वविद्यालयों/एफिलियेटिंग एजेंसी, शिक्षण संस्थानों एवं कॉलेजों द्वारा Aishe code एवं U-dise code कोड प्राप्त नही किया गया है, उन्हें Aishe code एवं U-dise code कोड प्राप्त करने हेतु निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

2– वर्ष 2025–26 से NAAC/NBA आदि ग्रेडिंग प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने का अनिवार्य प्राविधान किया गया है। इस सम्बन्ध में सभी विश्वविद्यालयों/एफिलियेटिंग एजेंसी सम्बन्धित संस्थाओ को निर्देश जारी करें कि उक्त ग्रेडिंग प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही वित्तीय वर्ष 2024–25 में पूर्ण करा लें, ताकि वर्ष 2025–26 से सम्बन्धित संस्थाओं के छात्र छात्रवृत्ति से वंचित न हो सकें।

3– संस्था द्वारा भरे गये मास्टर डाटा को विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा सत्यापन तथा संस्था द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्रों को लॉक की गयी सीटों के सापेक्ष वास्तविक छात्र संख्या का सत्यापन किये जाने की व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में शिक्षण संस्थाओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 से सर्वप्रथम मास्टर डाटा लॉक किया जायेगा तथा छात्रों द्वारा शिक्षण संस्थान में उपस्थित होकर बायोमैट्रिक आधार आथेन्टिकेशन कराने के उपरांत शिक्षण संस्थायें छात्रों के आवेदन को अग्रसारित कर सकेंगी।

4– जनपद मे स्थित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा परीक्षाफल को डिजिलाकर पर अपलोड नहीं किया गया है अथवा जो विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी डिजिलाकर पर नहीं हैं, वह इस वर्ष से डिजिलाकर का उपयोग कर परीक्षाफल को डिजीलाकर पर अपलोड कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

5– छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के साथ छात्रों के माता–पिता/अभिभावक या पति के नाम से निर्गत आय प्रमाण–पत्र को ही इस वित्तीय वर्ष से प्रयोग किये जाने की कार्यवाही छात्र स्तर से कराने तथा ऐसी छात्रायें जो शादी के उपरांत अपने पति के साथ रहती हैं वह पति के नाम से तथा वहीं के पते से आधार कार्ड को अपडेट कराने हेतु संस्था अपने स्तर से आवश्यक निर्देश जारी करें। इस वित्तीय वर्ष से छात्रो के माता–पिता/अभिभावक के नाम से निर्गत आय–प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

डॉ0(राहुल गुप्ता)
जिला समाज कल्याण अधिकारी
सिद्धार्थनगर

पृष्ठांकन सं0 व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
3. मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
4 जनपद मे स्थित समस्त शिक्षण अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

जिला समाज कल्याण
सिद्धार्थनगर